# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 695 सन 2019

अनवान :–

1. सन्दीप कुमार पुत्र बागदास जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादी**

**बनाम**

1. बागदास पुत्र रामकिशन जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामनिवस स्वामी पुत्र बागदास जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पुत्री बागदास पत्नि भरतदास जाति स्वामी निवासी खूईया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 27/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 126/271 की कुल 1.8080हैक व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 124/276 की कुल 5.9560हैक व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 125/349 की कुल 7.5880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामकिशन पि0मु0 बरजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामकिशन पि0मु0 बरजी के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामकिशन पि0मु0 बरजी के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में बाधदास दर्ज है जबकि सही नाम बागदास है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रामकिशन पि0मु0 बरजी के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जिसके अनुसार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 125/349 की कुल 7.5880हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई शेष भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 126/271 की कुल 1.8080हैक व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 124/276 की कुल 5.9560हैक व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 125/349 की कुल 7.5880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामकिशन पि0मु0 बरजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामकिशन पि0मु0 बरजी के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामकिशन पि0मु0 बरजी के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है अपने वाहमी बटवारा के अनसुार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में बाधदास दर्ज है जबकि सही नाम बागदास है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 126/271 की कुल 1.8080हैक व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 124/276 की कुल 5.9560हैक व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 125/349 की कुल 7.5880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2046 रोही मौजा गोरखाना के अनुसार वाद भूमि रामकिशन पि0मु0 बरजी के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रामकिशन पि0मु0 बरजी के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामकिशन पि0मु0 बरजी के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का काश्त की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है। तथा वादी का नाम प्रस्तुत दस्तावेजात में बागदास दर्ज है अर्थात सही नाम बागदास होना प्रतित होता है वादी अपने पिता का नाम बाधदास के स्थान पर बागदास उर्फ बाधदास संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन से राज्यहकों पर कोई प्रभाव नही होता है बल्की रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 126/271 की कुल 1.8080हैक , खाता संख्या 124/276 की कुल 5.9560हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 125/349 की कुल 7.5880हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में बाधदास के स्थान पर बागदास उर्फ बाधदास संशोधित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर (हनुमानगढ़)

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. सन्दीप कुमार पुत्र बागदास जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादी**

**बनाम**

1 बागदास पुत्र रामकिशन जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामनिवस स्वामी पुत्र बागदास जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पुत्री बागदास पत्नि भरतदास जाति स्वामी निवासी खूईया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 695 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/12/19**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 126/271 की कुल 1.8080हैक , खाता संख्या 124/276 की कुल 5.9560हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 125/349 की कुल 7.5880हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में बाधदास के स्थान पर बागदास उर्फ बाधदास संशोधित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )